न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

जीसीएमएस संख्या 2024/47

1. पूनीराम पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी महेशपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 11/12/2023 प्रकरण संख्या 164/2023 उनवानी सरकार बनाम आनन्दी लाल वगै0 में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आदेश पारित किया है के विरूद्व उक्त अपील प्रस्तुत है।

उपस्थित—

1. श्री एन.एल.शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —28.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 11.12.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम महेशपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित खसरा नं. 398, 428, 429, 431, 434/961, 444, 443, 434 ग्राम महेशपुरा से शीशवाली ढाणी के खातेदार व काश्तकार की भूमि में से तहसीलदार कोटखावदा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर को रास्ता प्रस्ताव भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नक्शा व जॉच रिपोर्ट के अनुसार अपने निर्णय दिनांक 11.12.2023 को उक्त खसरा नम्बर में रास्ता को आम रास्ता दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।
3. उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 11.12.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट पूनीराम पुत्र गोपाल द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चाकसू 11.12.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम महेशपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित खसरा नं. 398, 428, 429, 431, 434/961, 444, 443, 434 ग्राम महेशपुरा से शीशवाली ढाणी तक तहसीलदार कोटखावदा व पटवारी द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जबकि उक्त भूमि में पूर्व में ना तो कोई आम व सार्वजनिक रास्ता था ना ही वर्तमान में है। तहसीलदार द्वारा अपीलांट की खातेदारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

की भूमि में से जानबूझकर अन्य व्यक्तिओं को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से रास्ता प्रस्तावित किया गया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत् खातेदार मुआवजा अदा कर रास्ता प्राप्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2013 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर दिनांक 11.12.2013 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार कोटखावदा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित एवं ग्रेवल रोड डली हुई है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। अपीलांट्स को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर व मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से जाहिर होता है कि रास्ता में पूर्व से ग्रेवल रोड बनी हुई थी जो अतिक्रमण कर खुर्द–बुर्द की गई है। अतः रास्ता मौके पर प्रचलित व पुराना है एवं ग्राम महेशपुरा से शीशवाली ढाणी तक जाता है तथा सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है जिससे माना जा सकता है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा इस संबंध में राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 में दिए गए निर्देशानुसार ही तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर रास्ते का निर्णय पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विधिअनुरूप होने से उचित एवं विधिसम्यक है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 11.12.2013 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर